# जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

## बिजली चोरी बाहुल्य क्षेत्रों में सतर्कता जांच की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश

जयपुर, 21 दिसम्बर। तीनो विद्युत वितरण निगमों के सतर्कता विंग की शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं उप अधीक्षकों को विद्युत चोरी बाहुल्य क्षेत्रों में सतर्कता जांच की प्रभावी कार्यवाही कर बिजली चोरी पर अंकुश लगाने एवं छीजत में कमी लाने के निर्देश दिये गये। इस कार्य के लिए निगम में नियुक्त प्रत्येक उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता) को पर्याप्त पुलिस स्टाफ अगले 15 दिवस में उपलब्ध करवाया जाएगा।

विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्री कुंजी लाल मीणा ने बताया कि प्रदेश विद्युत चोरी सम्बन्धी अपराधों पर प्रभावी नियन्त्रण लगाने एवं एक लाख रुपए से अधिक बिजली की बकाया राशि वाले पीडीसी उपभोक्ताओं के परिसरों में बिजली के अवैद्य कनेक्शनों को पकड़कर कर दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने लिए सतर्कता शाखा के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये गये है। उन्होंने बताया कि जो अधिकारी चैकिंग करने के बाद सात दिवस में दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नही करवाएगा तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

श्री मीणा ने बताया कि सतर्कता जांच की कार्यवाही में तेजी लाने के लिए निगम में पदस्थापित प्रत्येक उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता) को आगामी 15 दिवस में एक कनिष्ठ अभियन्ता सहित 20 कर्मचारियों की इमदाद उपलब्ध करवा दी जाएगी। प्रदेश के सभी 46 विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानों को आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त संसाधनों से भी लैस किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि तीनो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) को निर्देश दिये गये हैं कि वृत के अधीक्षण अभियन्ता के साथ बिजली चोरी बहुल एवं कम राजस्व वसूली वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर योजनाबद्ध तरीके से बिजली चोरी रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करें एवं अत्यधिक छीजत वाले फीडरों से सम्बन्धित क्षेत्रों में कार्यवाही से पूर्व स्थानीय जांच दलों के साथ जहां कहीं भी आवश्यकता हो तो स्थानीय पुलिस का सहयोग भी प्राप्त करें।

श्री मीणा ने बताया कि सतर्कता जांच की कार्यवाही मे तेजी लाने के लिए निगम स्तर पर एक अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी की नियुक्ति के प्रस्ताव पर आगामी डिस्कॉम कार्डिनेशन फोरम की मीटिंग में विचार कर प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जायेगा।

समस्त आम–जन से अपील है कि राष्ट्र एवं प्रदेश के हित में बिजली चोरी न तो स्वयं करें और न ही अन्य को इस कार्य के लिए प्रोत्साहित करें। बिजली चोरी एक अपराध है एवं इस अपराध के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। जिसका परिणाम बिजली चोरी करने वाले के साथ ही उसके परिवार एवं अन्य ईमानदार बिजली उपभोक्ताओं को भी भुगतना पड़ता है।

———

**प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 376/2012**